संख्या-60/2016/2528/60-2-16-2/1(21)16

प्रेषक,

डिम्पल वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
राज्य पोषण मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

2. निदेशक
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांकः 28 सितम्बर, 2016

विषय- उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेशन के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरेन्डम ऑफ को-ऑपरेशन के अन्तर्गत स्थापित तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली पोषण परियोजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेशन (बी0एम0जी0एफ0) के मध्य दिसम्बर, 2012 में मेमोरेन्डम ऑफ को-ऑपरेशन (एम0ओ0सी) हस्ताक्षरित किया गया था। इस मेमोरेन्डम ऑफ को-ऑपरेशन के अनुसार बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन द्वारा माताओं, शिशुओं एवं बाल पोषण के स्तर में सुधार, मातृ मृत्युदर एवं बाल मृत्युदर तथा कुल प्रजनन दर को राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के लक्ष्यों के अनुसार कम करने, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने तथा वित्तीय समावेशन (फाइनैंशियल इनक्लूज़न) हेतु तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) स्थापित कर उत्तर प्रदेश सरकार को तकनीकी एवं प्रबन्धन सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-276/पाँच-9-2014-9(101)/12, दिनांक 10 मार्च, 2014 निर्गत किया गया है।

इस शासनादेश के माध्यम से टी0एस0यू0 द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश को प्रदान किए जाने वाले सहयोग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इस शासनादेश के निम्नलिखित बिन्दु स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए जा रहे तकनीकी सहयोग हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-149/पांच-9-2014-9(101)/12, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 में के प्राविधानों पर आधारित हैं।

तकनीकी सहयोग इकाई के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य, जनपद, ब्लॉक/परियोजना एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों की भूमिका एवं दायित्व स्पष्टतः उल्लिखित किये जाएं।

2. <u>तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) के द्वारा संचालित पोषण परियोजना के उद्देश्यः-</u>

तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश को दिए जाने वाले सहयोग के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2.1 आई0सी0डी0एस0 परियोजना के संचालन तथा क्षमता-वृद्धि में सहयोग प्रदान करना जिससे कि मातृ, शिशु एवं बाल पोषण (एम0आई0वाई0सी0एन0) Maternal, Infant, Young and Child Nutrition Intervention (MIYCN) से सम्बन्धित हस्तक्षेप का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन किया जा सके।

2.2 योजना बनाने तथा निर्णय लेने में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (आई0सी0डी0एस0) तथा राज्य पोषण मिशन को सहयोग करना तथा एम0आई0वाई0सी0एन0 सम्बन्धित आंकड़ों का बेहतर उपयोग करने में सहयोग प्रदान करना।

3. <u>परियोजना का आच्छादन व अवधि-</u>

3.1 वर्तमान में परियोजना की कुल अवधि 3 वर्ष 4 माह (नवम्बर, 2015 से मार्च, 2019 तक) है। परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण में परियोजना 25 चिन्हित जिलों के 100 ब्लॉक में लागू की जा रही है। प्रत्येक जिले से चार ब्लॉक चिन्हित किए गए है। उपरोक्त चिन्हित 25 जिलों को पाँच जोन में बाँटा गया है। जोन, जिलों और ब्लाकों की सूची संलग्न है **(संलग्नक-1)।**

3.2 परियोजना के द्वितीय चरण (मार्च 2019 के उपरान्त) में टी0एस0यू0 द्वारा आई0सी0डी0एस0 निदेशालय तथा राज्य पोषण मिशन को दिए जा रहे सहयोग का विस्तार वर्तमान 25 चिन्हित जिलों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में किया जाना प्रस्तावित है।

4. <u>तकनीकी सहयोग इकाई का संगठनात्मक ढाँचाः-</u>

4.1 मेमोरेन्डम ऑफ को-ऑपरेशन में वर्णित तकनीकी और प्रबंधन सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए, टी0एस0यू0 के ढाँचे में राज्य, जोन, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इकाइयों का गठन किया गया है। तकनीकी सहयोग इकाई का संगठनात्मक ढाँचा संलग्नक के अनुसार है **(संलग्नक-2)।**

4.2 राज्य स्तरीय तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) का नेतृत्व एक आई0ए0एस0 अधिकारी (अधिशासी निदेशक) द्वारा किया जा रहा है। अधिशासी निदेशक की तैनाती के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-993/पाँच-9-2014-9(101)/12टीसी-1, दिनांक 30.06.2014 जारी किया गया है। अधिशासी निदेशक इस योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिशासी निदेशक द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश शासन के पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश द्वारा परियोजना से सम्बद्ध अन्य डेवलपमेन्ट पार्टनर्स जैसे-यूनीसेफ, टाटा ट्रस्ट, एलाइव एण्ड थ्राइव, माइक्रोन्यूट्रीएन्ट इनीशिएटिव, जी0एच0एस0 आर0जी0एम0वी0पी0 तथा सेव द चिल्डरेन के समन्वय तथा सहयोग से मातृ, शिशु एवं बाल पोषण संबंधी हस्तक्षेपों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.3 जोन स्तरीय तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) टीम

टी0एस0यू0 द्वारा संचालित पोषण परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक जोन स्तर पर एक जोनल पोषण विशेषज्ञ नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

4.4 जिला स्तरीय तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) टीम

टी0एस0यू0 द्वारा संचालित पोषण परियोजना के अन्तर्गत सभी 25 चिन्हित जिलों में एक जिला पोषण विशेषज्ञ तैनात है। जिला पोषण विशेषज्ञ के द्वारा सभी टीम के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर जिला स्तर पर टी0एस0यू0 की सभी पोषण संबंधी गतिविधियों का नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन व अनुश्रवण किया जाएगा।

4.5 ब्लॉक स्तरीय तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) टीम

टी0एस0यू0 द्वारा संचालित पोषण परियोजना के अन्तर्गत सभी चिन्हित 100 ब्लॉको में टी0एस0यू0 की एक टीम गठित की गई है। उक्त टीम में प्रत्येक ब्लॉक पर एक ब्लॉक कम्यूनिटी सुपरवाइजर (बी0सी0एस0) तथा प्रत्येक बी0सी0एस0 के अधीन क्लस्टर स्तर पर 6 से 8 कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (सी.आर.पी.) कार्यरत हैं। वर्तमान परियोजना में 380 सी0आर0पी0 पूर्व से ही कार्यरत है और इस पोषण परियोजना के अन्तर्गत 370 अतिरिक्त सी0आर0पी0 नियुक्त किये गए है। इस प्रकार लगभग 750 सी0आर0पी0 तैनात है।

5 <u>तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) के विभिन्न स्तरों की भूमिका व उत्तरदायित्वः-</u>

तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) द्वारा आई0सी0डी0एस0 निदेशालय तथा राज्य पोषण मिशन को राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में दिये जाने वाला तकनीकी एवं प्रबंधन सहयोग मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर होगा-

5.1 राज्य स्तर पर-

5.1.1 आई0सी0डी0एस0 निदेशालय तथा राज्य पोषण मिशन को साक्ष्य आधारित कार्यक्रम
क्रियान्वयन योजना (पी0आई0पी0) का विकास करने में सहयोग करना।

5.1.2 एम0आई0वाई0सी0एन0 हस्तक्षेपों को वर्तमान में संचालित विभागीय कार्यक्रमों में समेकित रूप से सम्मिलित कर क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करना।

5.1.3 आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने, सामुदायिक पर्यवेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं आशा, ए0एन0एम0 और आंगनवाड़ी कार्यकत्री के बीच समुचित समन्वय स्थापित करने में सहयोग देना।

5.1.4 आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ करने, सेवाओं की गुणवत्ता को सुधारने एवं आंगनवाड़ी केन्द्र से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री की उपलबधता को सुनिश्चित करने में सहयोग एवं सहयोगी पर्यवेक्षण प्रदान करना।

5.1.5 राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित अभिनव प्रयोगों का मूल्यांकन कर, प्रदेश में आरम्भ करने व लागू करने में सहयोग करना।

5.1.6 सूचना प्रणालियों तथा मानीटरिंग इन्फार्मेशन सिस्टम (एम0आई0एस0)आदि को सुदृढ़ करने में सहयोग करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.1.7 पोषण के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए निजी क्षेत्र व गैर-सरकारी संगठनों को सम्मिलित करने की रणनीति तैयार करने में सहयोग करना।

5.1.8 समुदाय स्तर पर पोषण सेवाओं की मांग को बढ़ाने वाली गतिविधियों को क्रियान्वित करना व वर्तमान में समुदाय आधरित कार्यक्रमों जैसे स्नेह शिविर, अन्नप्राशन,गोदभराई,ग्राम्य स्वास्थ्य पोषण दिवस (वी0एच0एन0डी0) तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी0एच0एस0एन0सी0) को सुदृढ़ करने में सहयोग देना।

5.1.9 समुदाय की भागीदारी (कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन) को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाने में सहयोग करना।

5.1.10 डैशबोर्ड संकेतकों के माध्यम से सभी 25 चिन्हित जिलों की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए आई0सी0डी0एस0 निदेशालय तथा राज्य पोषण मिशन के अधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक व आवश्यकतानुसार/नियमानुसार क्षेत्र भ्रमण करना।

5.1.11 आई0सी0डी0एस0 मिशन से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन में यथावश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।

5.1.12 टी0एस0यू0 के द्वारा जोन, जनपद व ब्लॉक/परियोजना स्तर पर राज्य पोषण मिशन तथा आई0सी0डी0एस0 विभाग व अपने अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

5.1.13 मेमोरेन्डम आफ को-आपरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन एवं बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेशन की आपसी सहमति के आधार पर समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य कार्य करना।

5.2 जिला स्तर पर-

टी0एस0यू0 की जिला स्तरीय टीम उपरिवर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सम्बन्धित कार्यक्रमो के जिला स्तर पर क्रियान्वयन में सहयोग करेगी तथा ब्लॉक स्तरीय टी0एस0यू0 टीम के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण व समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त यह टीम जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को पोषण की गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण व मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करेगी।

5.3 ब्लॉक स्तर पर-

टी0एस0यू0 की ब्लॉक स्तरीय टीम उपरिवर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में सहयोग करेगी। इसके अतिरिक्त यह टीम बाल विकास परियोजना अधिकारी को मातृ, शिशु एवं बाल पोषण की गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण व मूल्यांकन में सहयोग प्रदान करेगी।

जिला एवं ब्लॉक स्तरीय टीम की भूमिका एवं दायित्व **संलग्नक-3** में विस्तार से दिये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. <u>विभिन्न स्तरों पर सरकार और तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0) के बीच समन्वय की व्यवस्थाः-</u>

6.1 शासन स्तर पर तकनीकी सहयोग इकाई, प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी व अपने अधिशासी निदेशक के माध्यम से रिपोर्ट करेगी। यह इकाई प्रमुखतः राज्य स्तरीय विभागों यथा- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं राज्य पोषण मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, खाद् एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, संस्थागत वित्त विभाग एवं पंचायती राज आदि के साथ सहयोग एवं समन्वय का कार्य करेगी।

6.2 आई0सी0डी0एस0 निदेशालय एवं राज्य पोषण मिशन स्तर पर तकनीकी सहयोग इकाई निदेशक, आई0सी0डी0एस0/महानिदेशक राज्य पोषण मिशन/मिशन निदेशक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/निदेशक, कृषि/निदेशक, संस्थागत वित्त/आयुक्त, ग्राम्य विकास/निदेशक, बेसिक शिक्षा एवं निदेशक, पंचायतीराज आदि के साथ सहयोग एवं समन्वय करेगी।

6.3 जिला स्तर पर जनपद स्तरीय तकनीकी सहयोग इकाई संबंधित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर जिला अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण और जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।

6.4 ब्लॉक/परियोजना स्तर पर ब्लॉक स्तरीय तकनीकी सहयोग इकाई संबंधित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर परियोजना अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।

<u>7. विभिन्न सरकारी विभागों एवं अधिकारियों की भूमिकाः-</u>

7.1 शासन स्तर पर

शासन स्तर पर तकनीकी सहयोग इकाई प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग एवं राज्य पोषण मिशन के पर्यवेक्षण में कार्य करेगी, अतः परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न (सम्बन्धित) विभागों तथा निदेशालयों का टी0एस0यू0 के साथ समन्वय बनाने में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की मुख्य भूमिका होगी। टी0एस0यू0 को अपने कार्यों के सम्पादन में शासन के विभिन्न (सम्बन्धित) विभागों से सकारात्मक सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा व्यवस्था निर्धारित की जाएगी। इस सम्बन्ध में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा-

7.1.1 टी0एस0यू0 के अधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम सम्बन्धी भौतिक एवं वित्तीय आंकड़े, सूचनाएं, अभिलेख और आख्याएँ आवश्यकतानुसार /नियमानुसार प्राप्त हो सके।

7.1.2 टी0एस0यू0 के राज्य स्तर के अधिकारियों को शासन व निदेशालय स्तर की सम्बन्धित बैठकों का सदस्य नियमानुसार बनाया जाए।

7.1.3 प्रथम चरण के 25 चिन्हित जिलों में टी0एस0यू0 के द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों यथा-शासन, निदेशालय, जनपद व ब्लॉक से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सभी प्रकार का सहयोग नियमानुसार प्राप्त हो सके तथा प्रथम चरण से प्राप्त परिणाम और अनुभव के आधार पर द्वितीय चरण में परियोजना के सम्पूर्ण प्रदेश में प्रस्तावित विस्तार की रूपरेखा को तय करने में सहयोग प्रदान हो सके।

7.1.4 परियोजना के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों का शासन स्तर पर नियमानुसार परीक्षण एवं मूल्याकन करने के उपरान्त आई0सी0डी0एस0 निदेशालय व राज्य पोषण मिशन की संचालित कार्यक्रमों के सुदृढ़ करने में उपयोग करना।

7.1.5 मेमोरेन्डम आफ को-आपरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन एवं बिल एवं मेलिन्डा गेट्स फाउण्डेशन की आपसी सहमति के आधार पर समय-समय पर नियमानुसार निर्दिष्ट अन्य कार्य करना।

7.2 आई0सी0डी0एस0 निदेशालय एवं राज्य पोषण मिशन स्तर पर-

7.2.1 टी0एस0यू0 के साथ मिलकर परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समन्वित रूप से नियमानुसार कार्य करेगें। निदेशालय में ऐसे वातावरण को सृजित करेंगे, जिससे कि टी0एस0यू0, आई0सी0डी0एस0 एवं राज्य पोषण मिशन के एक महत्वपूर्ण अंग की भाँति कार्य कर सके।

7.2.2 टी0एस0यू0 के द्वारा परियोजना के लागू किए जाने के लिए निदेशालय व मिशन स्तर से समय-समय पर आवश्यकतानुसार आदेश/निर्देश नियमानुसार जारी किए जायेगे।

7.2.3 आई0सी0डी0एस0 निदेशालय एवं राज्य पोषण मिशन के अधिकारी टी0एस0यू0 के अधिकारियों के साथ मासिक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करेंगे व डैशबोर्ड संकेताको के माध्यम से प्रत्येक चिन्हित जिलों की प्रगति का सघन पर्यवेक्षण करेंगे।

7.3 जिला स्तर पर

7.3.1 जिलाधिकारी

7.3.1.1 आई0सी0डी0एस0 व राज्य पोषण मिशन से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा करने तथा संबंधित विभागों व टी0एस0यू0 के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए पूर्व से गठित जिला पोषण समिति की मासिक बैठक में की जाएगी। इसमें टी0एस0यू0 के प्रतिनिधि भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अतिरिक्त टी0एस0यू0 के अनुरोध पर परियोजना से संबंधित बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित करेंगे।

7.3.1.2 टी0एस0यू0 के जिला एवं ब्लॉक स्तर अधिकारियों को आई0सी0डी0एस0, राज्य पोषण मिशन व अन्य सम्बन्धित बैठकों का सदस्य नियमानुसार बनायेंगे।

7.3.2 जिला कार्यक्रम अधिकारी

7.3.2.1 जिला स्तर पर टी0एस0यू0 के अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में बैठेंगे। अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी चिन्हित 25 जिलों में तकनीकी सहयोग इकाई के एक सदस्य के लिए कार्यालय में स्थान उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराने का प्रयास करेंगे। यदि जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में स्थान उपलब्ध न हो तो टी0एस0यू0 जिला कार्यालय के समीप ही अपने कार्यालय को स्थापित करेंगे।

7.3.2.2 आई0सी0डी0एस0 व राज्य पोषण मिशन की गतिविधियों के नियोजन और क्रियान्वयन, समीक्षा करने तथा संबंधित विभागों व तकनीकी सहयोग इकाई के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु, जिला कार्यक्रम अधिकारी पाक्षिक बैठक आयोजित करेंगे।

7.3.2.3 जिला कार्यक्रम अधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि टी0एस0यू0 के अधिकारियों को जिला और ब्लॉक स्तर के विभिन्न कार्यक्रम सम्बन्धी भौतिक एवं वित्तीय आंकड़े, सूचनाएं, अभिलेख और आख्यायें आवश्यकतानुसार/नियमानुसार प्राप्त हो सकें।

7.3.2.4 टी0एस0यू0 द्वारा उपलब्ध कराये गए और समवर्ती अनुश्रवण के आंकड़ों को आवश्यकतनुसार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आई0सी0डी0एस0 व राज्य पोषण मिशन के कार्यक्रम की योजना बनाने एवं समीक्षा के लिए उपयोग में लाया जा सकता है |

7.3.2.5 ब्लॉक और जिला स्तरीय बजट को तैयार करने और इसकी ट्रैकिंग करने के लिए टी0एस0यू0 से सहयोग प्राप्त करेंगे।

7.3.2.6 टी0एस0यू0 के सहयोग से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक टैम्पलेट के अनुरूप प्रत्येक माह हर चिन्हित जिले में ब्लॉकवार एम0आई0एस0 डैशबोर्ड विकसित किये जायेगे।

7.3.2.7 हर माह दो ब्लॉकों में संयुक्त अनुश्रवण भ्रमण किये जायेंगे। संयुक्त टीम में जिला स्तरीय आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के नियन्त्रणाधीन अधिकारी,तकनीकी सहयोग इकाई के जोनल/जिला स्तरीय अधिकारी, विकास सहयोगी (Development Partners) एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी आई0सी0डी0एस0 परियोजना का भ्रमण करेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं टी0एस0यू0 टीम संयुक्त रूप से त्रैमासिक ब्लॉक भ्रमण योजना बना कर राज्य स्तर के नोडल अधिकारी को भी प्रेषित करेंगे| योजना में भ्रमण किये जाने वाले ब्लॉक का नाम, भ्रमण की निर्धारित तिथि, टीम के अधिकारियों के नाम, पदनाम उल्लिखित किये जाऐंगे। इसके लिये अनुश्रवण का एक शिड्यूल तकनीकी सहयोग ईकाई द्वारा आई.सी.डी.एस. व राज्य पोषण मिशन के सहयोग से बनाकर सम्बन्धित को दिया जाएगा।

7.4 ब्लॉक स्तर पर

बाल विकास परियोजना अधिकारी के दायित्वः-

7.4.1 ब्लाक स्तर पर टी0एस0यू0 के अधिकारी बाल विकास परियोजना केन्द्र के कार्यालय में बैठेंगे। अतः बाल विकास परियोजना अधिकारी तकनीकी सहयोग इकाई के एक सदस्य के लिए कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यदि कार्यालय में स्थान उपलब्ध न हो तो टी0एस0यू0 द्वारा बाल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विकास परियोजना केन्द्र के समीप ही अपने कार्यालय को स्थापित किया जायेगा।

7.4.2 तकनीकी सहयोग इकाई के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, ब्लॉक स्तर की आई0सी0डी0एस0 की समीक्षा बैठकों और अन्य सम्बन्धित बैठकों में नियमानुसार सम्मिलित किए जाएगें।

7.4.3 चयनित ब्लॉक में प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता (आंगनवाड़ी कार्यकत्री) तथा मुख्य सेविका के प्रशिक्षण अन्य मेंटरिंग गतिविधियों में सहभागिता करने की व्यवस्था निर्धारित करेंगे।

8. <u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u>

परियोजना की प्रगति की समीक्षा तथा विभिन्न विभागों एवं निदेशालयों के मध्य विभिन्न पहलुओं के समाधान हेतु एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली निम्नवत् गठित की जानी प्रस्तावित है-

8.1 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ''कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति''(पी0ए0सी0) का गठन। यह समिति हर चार माह के अन्तराल पर प्रगति की समीक्षा और भावी दिशा के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

8.2 प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में ''कार्यक्रम समन्वय समिति''(पी0सी0सी0) का गठन। यह समिति प्रगति की समीक्षा हेतु हर तीन महीने में बैठक आयोजित करेगी।

8.3 जिला स्तर पर कार्यक्रम की मासिक प्रगति एवं समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा जिला पोषण समिति की मासिक बैठक में की जाएगी।

9. <u>परियोजना के लक्ष्य</u>

परियोजना के लक्ष्य **संलग्नक-4** पर रक्षित हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार एवं बिल मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरैण्डम ऑफ को-आपरेशन के अन्तर्गत स्थापित तकनीकी सहयोग ईकाई के लिए निर्धारित किए गए हैं।

उक्त लक्ष्यों का क्रियान्वयन बिन्दु संख्या-1,2,3,4 तथा 7 बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार तथा राज्य पोषण मिशन से विशेष सम्बन्ध रखता है। अतः इन बिन्दुओं के संबंध में तकनीकी सहयोग इकाई द्वारा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को उनके कार्यक्रमों विशेषकर पोषण से संबंधित कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ द्वारा महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन एवं निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार से निरन्तर समन्वय स्थापित कर कार्यवाही की जाएगी तथा इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई या नीतिगत बिन्दु उपस्थित होने पर शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए जायेंगे। इस शासनादेश के क्रियान्वयन में निहित किसी भी प्रकार का वित्तीय उपाशय राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में समयबद्ध रूप से नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक: यथोक्त।

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद् विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
12. सम्बन्धित जिलाधिकारी (25 चिन्हित जनपद) उत्तर प्रदेश।
13. मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
14. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (टी0एस0यू0), उत्तर प्रदेश।
16. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
17. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
18. राज्य सूचना निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश।
19. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी (25 चिन्हित जनपद), उत्तर प्रदेश।
20. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी (25 चिन्हित जनपद), उत्तर प्रदेश।
21. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी (25 चिन्हित जनपद), उत्तर प्रदेश।
22. प्रतिनिधि, बिल एवं मेन्लिडा गेट्स फाउडेशन।
23. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरुण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

100 चयनित ब्लॉकों की जनपद एवं जोन वार सूची

क्रमांक	जोन	क्रमांक	जिला	क्रमांक	ब्लॉक	क्रमांक	ब्लॉक	क्रमांक	ब्लॉक	क्रमांक	ब्लॉक
1	इलाहाबाद	1.	इलाहाबाद	1	चाका	2	बहादुरपुर	3	कोराव	4	करछना
		2.	कौशाम्बी	5	सिराथू	6	कारा	7	नावेदा	8	कौशाम्बी) (कनेली)
		3.	मिर्जापुर	9	नगर (शहर)	10	जामालपुर	11	नारायणपुर	12	छानबे
		4.	सोनभद्र	13	म्योरपुर	14	चौपन	15	रोबर्टगंज	16	घोरावल
2	बरेली	5.	बदांयु	17	उजहानी	18	सहसदन	19	मियाव	20	जगत
		6.	बरेली	21	कयारा	22	बहेरी	23	जाफराबाद (बहामोरा)	24	मझगवाँ
		7.	शाहजहाँपुर	25	भावलखेरा	26	जलालबाद	27	खुतार	28	ददरौल
		8.	पीलीभीत	29	पूरनपुर	30	मारायूरी (न्यूरीयाँ)	31	अमरीयार	32	बीसलपुर
		9.	रामपुर	33	चमराऊरा	34	सौर	35	मिलक	36	बिलासपुर
3	बाराबंकी	10.	बराबंकी	37	बंकी	38	सिद्धौर	39	निन्दुरा	40	सिरौली गौसपुर
		11.	बहराइच	41	चितौरा	42	मिहिरपुर	43	शिवपुर	44	महसी
		12.	लखीमपुर खीरी	45	लखीपुर (फरधान)	46	फूल बेहर	47	निधासन	48	इसांनगर
		13.	फैजाबाद	49	मसौधा	50	रूदौली	51	सोहावल	52	बिकापुर
		14.	सीतापुर	53	खौराबा	54	विसवान	55	बेहटा	56	मोहम्मदाबाद
4	गोण्डा	15.	गोण्डा	57	झझरी (कुबाजी दवार)	58	रूपईडीहा	59	परसापुर	60	मनकापुर
		16.	बलरामपुर	61	बलरामपुर	62	तुलसीपुर	63	हर्रियाँ सतघरवा	64	रेहरा बाजार
		17.	श्रावस्ती	65	जमुनहा (मलहीपुर)	66	इकौन	67	हरिहरपुरानी (बागंधा)	68	सिरसिया
		18.	संत कबीर नगर	69	हैसार बाजार	70	खालिलाबाद	71	सेमरियाँवा	72	बेलहारा कॉकला
		19.	महाराजगंज	73	नौतनवा	74	महाराजगंज	75	सिसवा	76	लक्ष्मीपुर
		20.	सिद्धार्थनगर	77	डुमरियागंज	78	खुनियाँव	79	नौगढ़	80	कैसराहा
5	फर्रूखाबाद	21.	फर्रूखाबाद	81	बारहपुर	82	कमालगंज	83	कायमगंज	84	शमसाबाद
		22.	हरदोई	85	बवान	86	शाहाबाद	87	आइरोरी	88	भारखानी
		23.	कन्नौज	89	उमारदा	90	छिबरमऊ	91	कन्नौज	92	तालग्राम
		24.	कासगंज	93	कासगंज	94	सोरोन	95	गंजडुण्डवारा	96	सादपुर
		25.	एटा	97	शीतलपुर	98	अलीगंज	99	साकीत	100	नीधौली कालान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-**2**

तकनीकी सहयोग इकाई का संगठनात्मक ढॉचा

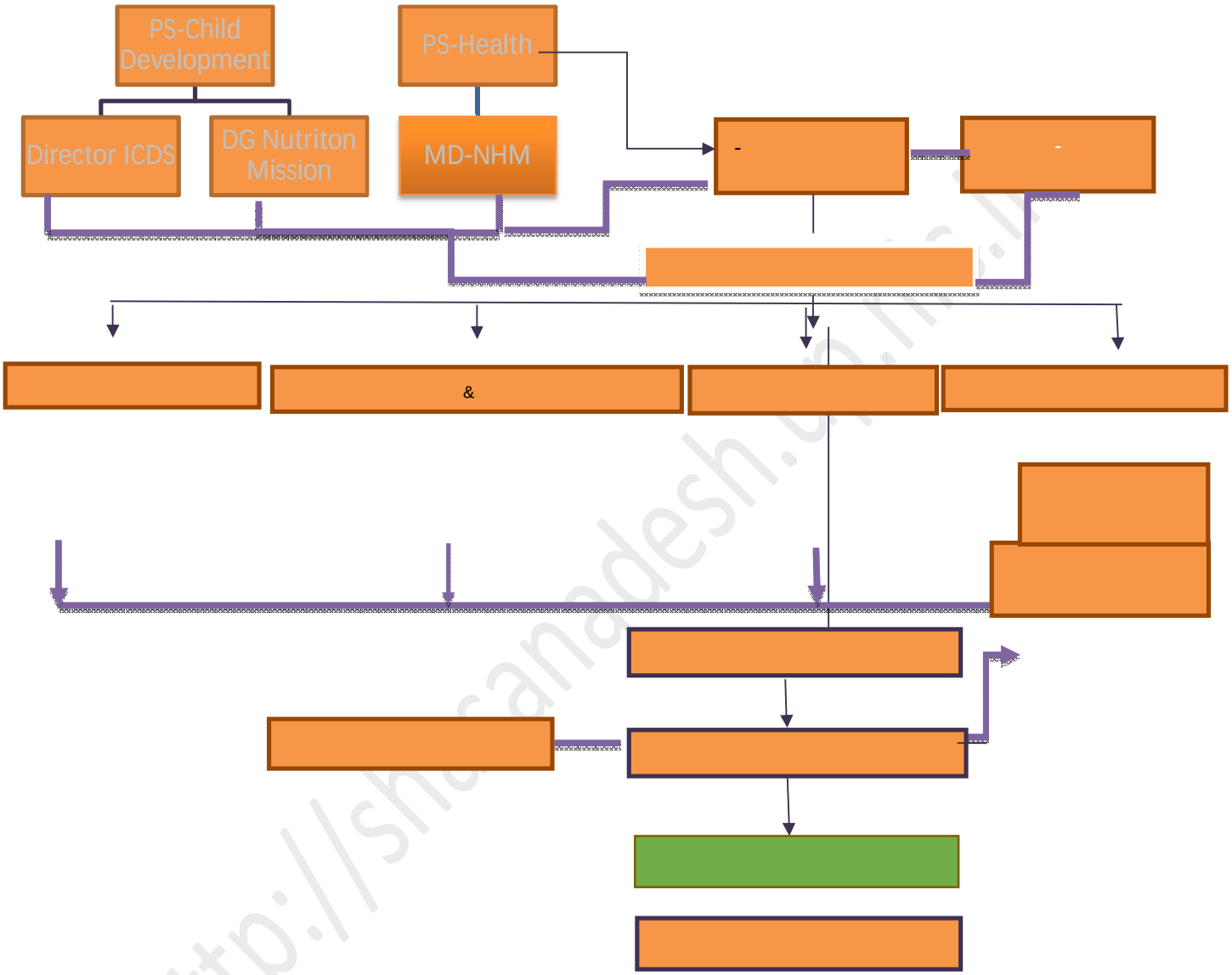

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

संलग्नक-3

जिला व ब्लॉक स्तरीय टीमों के कार्यों का विवरण

अ. जिला स्तरीय टी.एस.यू. टीम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा राज्य पोषण मिशन को निम्नलिखित सहायोग प्रदान करेगी-

1. जिला पोषण विशेषज्ञ के दायित्व

- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा राज्य पोषण मिशन के अधिकारियों को जिले के गैप्स के विशलेषण के आधार पर कार्य योजना निर्माण में सहायता प्रदान करना।
- जिले के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा राज्य पोषण मिशन की टीम को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु सहयोग प्रदान करना।
- बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा राज्य पोषण मिशन की टीम को पोषण सम्बन्धी डैशबोर्ड के निमार्ण में सहयोग प्रदान करना।
- उपलब्ध डाटा के अनुसार अधिक प्रभावी नियमित समीक्षा एवं नियोजन में सहयोग प्रदान करना।

ब. ब्लॉक/परियोजना स्तरीय टी.एस.यू. टीम बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा राज्य पोषण मिशन को निम्नलिखित सहयोग प्रदान करेगी-

ब्लॉक सामुदायिक पर्यवेक्षक (बी0सी0एस0) के दायित्व

- समुदाय में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के गृह भ्रमणों एवं संवाद की गुणवत्ता को बढ़ाने में निम्न प्रकार से सहयोग देनाः-
- कम्यूनिटी रिर्सोस पर्सन (सी0आर0पी0) के नियमित आंकड़ों का संकलन, क्षेत्र भ्रमण, प्रशिक्षण, समीक्षा बैठकों में सहयोग देना।
- सी0डी0पी0ओ0 के साथ संयुक्त क्षेत्र भ्रमण एवं आंकड़ों के आधार पर नियोजन में सहयोग करना।
- आई0सी0डी0एस0 परियोजना की विभिन्न गतिविधियों में सहयोग प्रदान करना।
- एम0आई0एस0 सुदृढ़ीकरण में ब्लाक स्तर पर सहयोग प्रदान करना।
- समुदाय एवं परियोजना के बीच उचित समन्वय स्थापित कर पोषण संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (सी0आर0पी0)

- प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों) को उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से सामुदायिक योजना व्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग देना।
- AAA फोरम बैठकों तथा क्लस्टर बैठकों में मातृ एवं शिशु पोषण सम्बन्धी सेवाओं की प्रथमिकता एवं समस्याएं निवारण में सहयोग देना।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को आई0वाई0सी0एफ0 प्रैक्टीसेस हेतु व्यवहार परिवर्तन संचार (बी0सी0सी0)/ परिवार केन्द्रित संचार (एफ0एफ0सी0) हेतु जॉब ऐड के द्वारा सहयोग प्रदान करना।
- गृह भेंट के दौरान पोषण परामर्श/व्यवहार परिवर्तन संचार की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आन साइट मेंटरिंग करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को उनके स्वयं के आंकड़ों के आधार पर चिन्हित समस्याओं के निदान हेतु सशक्त करना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-4

तकनीकी सहयोग इकाई के लक्ष्य

(जो कि प्रदेश सरकार एवं बिल मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के मध्य हस्ताक्षरित मेमोरैण्डम ऑफ को-आपरेशन के अंतर्गत निर्धारित परिभाषित है)

Domain	No	Indicator	Target
Maternal Nutrition	1	% Women who consume IFA for 90+day during Pregnancy	61%
Infant and Young Child practice	2	Early breastfeeding (Children breastfed within the first hour of birth)	93%
	3	Exclusive breastfeeding (Children exclusively breastfed for 6 months)	92%
	4	% Children fed with 3 IYCF practices	69%
Supplementation	5	% Children received Vitamin A supplements	86%
	6	% Children with diarrhoea given Zinc supplements	15%
	7	% HHs consuming iodized salt	52%
/Undernutrition/ Malnutrition	8	SAM children under 5 who were appropriately treated	40%

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।